न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3034–एक/2012 विरूद्व आदेश दिनांक 22–02–2012 पारित व्दारा – अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर – प्रकरण कमांक 385–अ–5/2011–12 अपील

प्रहलाद चौकसे पुत्र स्व. द्वारका प्रसाद चौकसे
ग्राम जोगीढाना निगरी तहसील जबलपुर ———आवेदक

विरूद्व

1– राजेन्द्र प्रसाद चौकसे पुत्र पन्नालाल चौकसे
2– रमाकॉत चौकसे पुत्र पन्नालाल चौकसे
निवासीगण ग्राम जोगीढाना निगरी
तहसील व जिला जबलपुर
3–मध्य प्रदेश शासन ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एम.एम.मुदगल)
(अनावेदकगण क. 1 स्वंय् एंव 2 के अभिभाषक श्री आर.एस.साहू)

आ दे श
(आज दिनांक 16–10–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 385–अ–5/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–02–2012 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने अतिरिक्त तहसीलदार जबलपुर को आवेदन दिनांक 17–5–2010 प्रस्तुत कर मांग रखी कि ग्राम जोगीढाना स्थित भूमि सर्वे नंबर 170 रकबा 1.93 हैक्टर प्रहलाद, काशीराम, रमेश पुत्रगण द्वारका चौकसे के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है एंव यह भूमि बंदोवस्त के पूर्व से कब्जा अनुसार भाई चारे के

बटवारे में चली आ रही है बंदोवस्त के वाद खसरा नंबर 170 के पुराने ख.नं. 228/2–3 के अनुसार नक्शा नहीं बनाया गया है तथा नक्शा बदल दिया गया है अतः पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे का सुधार किया जावे। इस आवेदन पर अतिरिक्त तहसीलदार बरगी ने प्रकरण कमांक 01 अ–5/2009–10 दर्ज किया तथा जांच एंव सुनवाई प्रारंभ की। प्रकरण में नायव तहसीलदार बरगी ने सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27–12–2010 पारित किया तथा पुराने नक्शे अनुसार नये नक्शे में सुधार करना आदेशित किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 47/अ–5/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2011 से अपील स्वीकार की गई एंव नायव तहसीलदार बरगी का आदेश दिनांक 27–12–2010 अधिकारिता–विहीन होने से निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 385–अ–5/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22–02–2012 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक –1 ने स्वयं् उपस्थित होकर बचाव किया है।

4/ हितबद्व पक्षकारों को श्रवण करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि आवेदक ने तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है – *** ग्राम जोगीढाना स्थित भूमि सर्वे नंबर 170 रकबा 1.93 हैक्टर प्रहलाद, काशीराम, रमेश पुत्रगण द्वारका चौकसे के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर है एंव यह भूमि बंदोवस्त के पूर्व से कब्जा अनुसार भाई चारे के बटवारे में चली आ रही है बंदोवस्त के वाद खसरा नंबर 170 के पुराने ख.नं. 228/2–3 के अनुसार नक्शा नहीं बनाया गया है तथा नक्शा बदल दिया गया है अतः पुराने नक्शे के अनुसार नये नक्शे का सुधार किया जावे।*** स्पष्ट है कि आवेदक का आवेदन बंदोवस्त के दौरान तैयार किये गये नक्शे में भूल

सुधार का आवेदन है जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 के अंतर्गत है जो इस प्रकार है :–

- **धारा 107 (5) – ऐसा नक्शा (राजस्व सर्वेक्षण) के समय बंदोवस्त अधिकारी व्दारा और समस्त अन्य समयों तथा समस्त अन्य परिस्थितियों में कलेक्टर व्दारा यथास्थिति तैयार या पुनरीक्षित किया जायेगा । ***

जबकि विचाराधीन प्रकरण में नायव तहसीलदार बरगी ने प्रकरण कमांक 01 अ–5/2009–10 में स्वस्तर से आदेश दिनांक 27–12–2010 पारित कर नक्शा सुधार का आदेश दिया है जो अधिकारिता–विहीन है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 47/अ–5/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2011 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार बरगी द्वारा पारित अधिकारिता–विहीन आदेश दिनांक 27–12–2010 को निरस्त किया गया, जिसके कारण अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर ने प्रकरण कमांक 385–अ–5/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–02–2012 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29.10.11 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग,जबलपुर द्वारा प्रकरण कमांक 385–अ–5/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–02–2012 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर